

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

रॉची

दिनांक :- 23-7-12

भाग-01 / स्थाना. / पद-11-04/2011-**3550**, दिनांक 28.06.2012 को सम्पन्न विभागीय स्थापना संसाधन की अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची के निम्नलिखित कार्यपालक भाग (आसैनिक) (गालू प्रभार/नियमित) को कार्यकारी व्यवस्था के तहत उनके अपने ही वेतनमान में उनके द्वारा के सामने स्तम्भ-04 में अंकित पद/स्थान पर पदस्थापित करते हुए अधीक्षण अभियंता(आसैनिक) (स्वतन्त्र गालू प्रभार) के रूप में कार्य करने हेतु अगले आदेश तक के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/ आई.डी./ जन्म तिथि / गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री रमेश कुमार सिंह 1773 / 03.03.55 / भोजपुर	कार्यपालक अभियंता(चा.प्र.) लघु सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) लघु सिंचाई अंचल, रॉची	
2.	श्री मदन मोहन राय 1818 / 20.03.53 / रोहतास	कार्यपालक अभियंता(चा.प्र.) अग्रिम योजना प्रमंडल, साहेबगंज	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) जलपथ अंचल, रॉची	
3.	श्री तपन कुमार राय 1826 / 06.01.57 / पटना	कार्यपालक अभियंता(चा.प्र.) मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, झारखण्ड रॉची	अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.) के रूप में सेवा मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग को।	मंत्रिमंडल निगरानी विभाग में पूर्ववत् बने रहेंगे।
4.	श्री प्रभुनाथ सिंह 1835 / 19.01.54 / भागलपुर	कार्यपालक अभियंता(चा.प्र.) समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमंडल-02, रॉची	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-01, रॉची	
5.	श्री विनोद कुमार यादव 1838 / 22.12.54 / हजारीबाग	उप निदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, हजारीबाग	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) खरकई नहर अंचल, आदित्यपुर	
6.	श्री सत्येन्द्र कुमार सिन्हा 1839 / 01.09.52 / चतरा	कार्यपालक अभियंता(चा.प्र.) कल्याण विभाग	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल-01, रॉची (श्री सच्चिदानन्द शर्मा के दिनांक 31.07.12 को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्रभावी)	कल्याण विभाग से सेवा वापस लेते हुए।
7.	श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह 1854 / 19.05.53 / भागलपुर	कार्यपालक अभियंता(चा.प्र.) रूपांकण प्रमंडल सं.-03 आदित्यपुर	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) लघु सिंचाई अंचल देवघर	
8.	श्री शिव प्रसाद अग्रवाल 1861 / 16.06.53 / सिंहभूमि	कार्यपालक अभियंता(चा.प्र.) सिंचाई प्रमंडल, गालूडीह	सचिव (प्रावै.) प्रशासक सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर (जमशेदपुर)	
9.	श्री प्रेम कुमार केशरी 1868 / 25.08.54 / भोजपुर	कार्यपालक अभियंता(चा.प्र.) आयोजन गुण नियन्त्रण प्रमंडल, देवघर	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल-02, देवघर	

1	2	3	4	5
10	श्री सीताकान्त झा 1871 / 26.09.54 / दरभंगा	कार्यपालक अभियंता(चा.प्र.) रूपांकण प्रमंडल सं.-02, रॉची	संयुक्त सचिव(प्र.) जल संसाधन विभाग, रॉची	
11	श्री कुमार गजेन्द्र सिंह 1880 / 05.10.52 / गया	कार्यपालक अभियंता(चा.प्र.) सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल चांडिल	सचिव (प्रावे.) मुख्य अभियंता, चांडिल कम्पलेक्स आदित्यपुर जमशेदपुर	
12	श्री नवीन नारायण 1895 / 07.04.57 / पटना	कार्यपालक अभियंता(चा.प्र.) योजना आयोजन प्रमंडल सं.-02, रॉची	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) तेनुघाट बॉध अंचल तेनुघाट	

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. अधीक्षण अभियंता स्तरीय पद का कार्य करने हेतु कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा तथा इन्हें वही वेतन देय होगा जो पूर्व में देय है।
4. उपरोक्त पदाधिकारी जिन्हें कार्यकारी व्यवस्था के तहत अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (चालू प्रभार) के रूप में पदस्थापित किया गया है, कालान्तर में इनसे वरीयता क्रम में वरीय पदाधिकारी की निगरानी स्वच्छता एवं चारित्री प्रोन्नति के अनुकूल पाये जाने पर उन्हें अधीक्षण अभियंता (स्वतंत्र चालू प्रभार) के रूप में अधिसूचित कर दिया जायेगा एवं तदनुसार जो पदाधिकारी कनीय होंगे उन्हें कार्यपालक अभियंता के रूप में अधिसूचित किया जायेगा।
5. भविष्य में उपरोक्त अभियंताओं की निगरानी स्वच्छता की स्थिति प्रतिकूल पाये जाने पर उन्हें कार्यपालक अभियंता के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।
6. अधीक्षण अभियंता के पद पर नियमित पदस्थापन होने के बाद यह कार्यकारी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।
7. यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। यह किसी प्रकार की प्रोन्नति का आधार नहीं होगा और न ही पूर्वोदाहरण का मामला होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,



 23.7.12
 (दिनेश उपाध्याय)
 सरकार के उप सचिव (प्र.)।

ज्ञापांक :- 3550

रॉची, दिनांक :- 23-7-12

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉची को (सी.डी.सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 100 (सौ) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।


 23.7.12
 (दिनेश उपाध्याय)
 सरकार के उप सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

355०

रॉची, दिनांक :- 23 - 7 - 12

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची / वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रॉची / माननीय उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में) / प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची / सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, कल्याण विभाग, झारखण्ड रॉची / प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड रॉची / सचिव, सार्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड रॉची / प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि., रॉची / प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर / विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची / अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची / सभी संयुक्त सचिव / सभी उप सचिव / सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची / सभी मुख्य अभियंता / प्रबन्ध निदेशक, झालको, रॉची / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड / सभी संबंधित पदाधिकारी / सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी / वेब इनफॉरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची / प्रशास्त्रा पदाधिकारी, प्रशास्त्रा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ब०, 7यो०, एवं 8ए०, 8बी० एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारी अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार 7 (सात) दिनों के अन्दर सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन मुख्यालय को देंगे। एक सप्ताह के अन्दर विरमित नहीं होने पर वे खत कार्य से विरमित समझे जायेंगे।

3. संबंधित कोषागार पदाधिकारी, सभी संबंधित पदाधिकारियों का माह अगस्त 2012 का वेतन भुगतान नव पदस्थापित पद के विरुद्ध ही करेंगे।


23.7.12
(दिनेश उपाध्याय)
सरकार के उप सचिव (प्र०)